Regd.

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोलायत

क्रमांकः– पंसको/लेखा/2020–21/49-52 दिनांक :– 23/4/21

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी
एफ.सी.ए. राजस्थान,
जयपुर।

विषयः– स्टेडियम निर्माण कार्य ग्राम पंचायत, कोलायत कार्य में प्रयुक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु मांग राशि से उन्मुक्ति हेतु।

प्रसंगः– भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या पीएफ/आरजे/अदर/41843/2019 दिनांक 02.09.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जनलेखा समिति वर्ष 2014–15 के द्वितीय प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 04 की कियान्विती के अनुकम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 02.09.2019 को स्टेडियम निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत, कोलायत में उपयोग ली गयी वन भूमि 3.66 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव आपको प्रेषित किये गये है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन के उक्त ऑनलाईन प्रस्ताव के अनुकम्र में एसीएफ (एफसीए) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक होफ, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 09.09.19 द्वारा कतिपय बिन्दुओं के अनुकम स्पष्टीकरण चाहे जाने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 3604 दिनांक 18.09.19 द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण भिजवाये गये है।

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण की प्रगति की जानकारी हेतु दिनांक 10.02.2020 को इस कार्यालय के विशेष वाहक को आपके कार्यालय में भेजा गया। इस अवसर श्रीमान सुरेश गुप्ता, एसीएफ वन विभाग, जयपुर ने विचाराधीन वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण के अनुकम में एनपीवी चार्ज लगभग 16.00 लाख, सीए चार्ज लगभग 5.00 लाख एवं वाईलेशन चार्ज लगभग 1.00 लाख कुल राशि लगभग 22.00 लाख के भुगतान के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ऑनलाईन फीड करने के निर्देश दिये गये है।

इस संबंध में विनम्र निवेदन है कि स्टेडियम निर्माण कार्य में प्रयुक्त वन विभाग की भूमि के बदले स्वामित्व परिवर्तन कर ग्राम पंचायत, कोटडी की उतनी ही भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तित की गयी है। स्टेडियम निर्माण कार्य में प्रयुक्त वन विभाग की भूमि पर पेड़–पौधे नहीं लगे हुवे थे एवं न ही इस भूमि पर पृथक से वनीकरण का कार्य नहीं हुआ था, अतः प्रकरण में विकसित वन सम्पदा की क्षति की स्थिति नहीं है। स्टेडियम निर्माण में प्रयुक्त वन विभाग की भूमि राजकीय उद्देश्यों से एवं सार्वजनिक उपयोग में ली जा रही है, किसी व्यक्ति विशे/निजी संस्था को लाभ पहुँचाने की स्थिति नहीं है। वन विभाग की मांग अनुसार चार्ज राशि जमा कराने हेतु ग्राम पंचायत, कोलायत एवं पंचायत समिति, कोलायत के पास निजी आय सहित किसी उपयुक्त मद में फण्ड भी उपलब्ध नहीं है। अतः विनम्र अनुरोध है कि कृपया उक्त वस्तुस्थिति के परिपेक्ष्य में व्यावहारिक दृटिकोण से विचार कर स्टेडियम निर्माण कार्य ग्राम पंचायत, कोलायत में प्रयुक्त वन विभाग की भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु निर्देशित एनपीवी चार्ज, सीए चार्ज एवं वाईलेशन चार्ज से उन्मुक्ति प्रदान करते हुवे वन भूमि प्रत्यावर्तन का आदेश प्रसारित करावें ताकि प्रसंगाधीन जनलेखा समिति की सिफारिश की पूर्ण क्रियान्विती की जा सकें।

भवदीय
23/04/21
(दिनेश सिंह भाटी)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोलायत
दिनांक :– 23/04/21

क्रमांकः– पंसको/लेखा/2020–21/49-52

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान् शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।

23/04/21
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, कोलायत

Scanned with CamScanner